10/-

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म.प्र

निगरानी 2280-PBR-15

पुनरिक्षण प्रकरण क्र :- /2015

वली मोहम्मद पिता प्यारजी नायता
पता – ग्राम संगसरा, धार (म.प्र) ......पुनरिक्षणकर्ता

श्री एच०एन० गिरि
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 8-7-15
को प्रस्तुत
1346/08-7-2015
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
इन्दौर संभाग

विरुद्ध

1) म.प्र.शासन द्वारा अनुविभीय अधिकारी, धार
2) कृष्णराव पिता आनंदराव
3) नारायणराव पिता नीलकंठराव तर्फे वारिसगण शोभादेव पति नारायणराव फौत वारिस
अ. किरणदेव पिता नारायणराव
ब. नितिनदेव पिता नारायणराव
स. बालीयादेव पिता नारायणराव

सभी निवासी : रघुनाथपुरा, धार

.......प्रत्यर्थीगण

पुनरिक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व. संहिता 1959

महोदय,

पुनरिक्षणकर्ता/आवेदक का सादर निवेदन है कि:–

यह कि, पुनरिक्षणकर्ता द्वारा सदर पुनरिक्षण याचिका श्रीमान अपर आयुक्त संभाग इन्दौर (श्री एस.पी.एस.सिंह सलूजा) द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्र. : 267/14.15/अपील में पारित निर्णय दिनांक 12.05.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2280–पीबीआर/2015 [वली मोहम्मद/शासन] जिला–धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.04.2016	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–5–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा ग्राम संगेसरा जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 27 रकबा 5.034 हेक्टेयर पर कब्जा अंकित करने हेतु संहिता की धारा 115, 116 व 121 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील भी निरस्त हुई है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत अभिलेख में हुई गलत प्रविष्टि को शुद्ध किया जा सकता है, कब्जा लिखने संबंधी नवीन प्रविष्टि का सृजन नहीं किया जा सकता है । उक्त निष्कर्ष अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के द्वारा पारित न्यायदृष्टांत के प्रकाश में निकाला गया है, जो पूर्णतः विधिसंगत है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	